

थम सूचना रिपोर्ट  
(दण्ड प्रक्रिया सहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. जिला भ्र.नि.ब्यूरो, बांसवाडा थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष, 2023  
 प्र.इ.रि.स..... 27.6/23 ..... दिनांक ..... 20/10/23
2. (i) अधिनियम पीसी एकट 1988 धारायें – धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित) 2018
  - (ii) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता –
  - (iii) अधिनियम – धारायें –
  - (iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें –
3. (अ) रोमनामचा आम रपट संख्या ..... 359 ..... समय..... 6.30pm  
 (ब) अपराध के घटने का दिन व समय: गुरुवार दिनांक 19.10.2023 समय 04.55 पीएम  
 (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक : 18.10.2023
4. सूचना की किस्म : लिखित / मौरिक : लिखित
5. घटना स्थल :
  - (अ) पुलिस थाना से दिशा व दुरी : दक्षिण दिशा दुरी लगभग 540 किलो मीटर
  - (ब) पता : कार्यालय पंचायत समिति तलवाडा जिला बांसवाडा
  - ..... बीट संख्या ..... जरायमदेही संख्या.....
  - (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो  
 पुलिस थाना सी0पी0एस0 जयपुर जिला चौकी भ्रनिब्यूरो, बांसवाडा
6. परिवादी/ सूचनाकर्ता :
  - (अ) नाम : – श्री बलराम निनामा
  - (ब) पिता – श्री धनजी निनामा
  - (स) जन्म तिथि/ वर्ष – 42 वर्ष
  - (द) राष्ट्रीयता : – भारतीय
  - (य) पासपोर्ट संख्या – जारी होने की तिथि.....
  - जारी होने की जगह..... –
  - (र) व्यवसाय – ग्राम विकास अधिकारी
  - (छ) पता – माही सागर कॉलोनी माहीडेम रोड पीपलवा तहसील व जिला बांसवाडा
7. ज्ञात/ अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : श्री पुरणमल मीणा पिता श्री राम खिलाड़ी मीणा जाति मीणा उम्र 47 साल निवासी मकान नम्बर 247 मालवीया नगर पुलिस थाना कोतवाली जिला अलवर हाल निवास तहसील रोड घाटोल जिला बांसवाडा हाल विकास अधिकारी पंचायत समिति तलवाडा जिला बांसवाडा !
8. शिकायत/ सूचना देने वाले द्वारा सूचना देती में का कारण : कोई विलम्ब नहीं
9. चुराई हुई/ संलप्ति सम्पत्ति का विवरण (अगर आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नथी करें)
10. चुराई हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य : – 80,000/- रुपये
11. मर्ग सूचना/ अप्राकृति मृत्यु केस नंबर यदि कोई हो तो :–
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय वस्तु (अगर अपेक्षित हो तो अतिक्रिया पन्ना लगावे) –  
 सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधिकारी महोदय

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाडा।

विषय:— कानूनी कार्यवाही कराने बाबत।

### महोदय

उपरोक्त विषय में सादर निवेदन है कि "मैं प्रार्थी बलराम निनामा पुत्र श्री धनजी निनामा पेशा नौकरी निवासी माही सागर कॉलोनी माही डेम रोड पीपलवा बांसवाडा का रहने वाला हूं। मैं माह जुन 2018 से ग्राम पंचायत मसोटीया में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर पदस्थापित हूं तथा मेरे पास माह जुलाई 2020 से ग्राम पंचायत कुपडा पंचायत समिति तलवाडा जिला बांसवाडा अतिरिक्त कार्यभार मेरे पास है। दिनांक 13.10.2023 को श्री पुरणमल मीणा विकास अधिकारी तलवाडा द्वारा ग्राम पंचायत कुपडा, पंचायत समिति तलवाडा में वर्ष 2020-21 से आज दिनांक 13.10.2023 तक के रिकोर्ड का

लगाव

निरीक्षण करने हेतु ग्राम पंचायत कुपड़ा आये। निरीक्षण के दौरान बीड़ीओ साहब ने मुझे वर्ष 2020-21 से आज दिनांक 13.10.2023 तक के स्वीकृत सभी कार्यों की सूची दिखाकर बताया कि प्रत्येक कार्य की स्वीकृत राशि के अनुसार आपकी ग्राम पंचायत कुपड़ा में लगभग ढेड़ करोड़ रुपये की राशि का कार्य होना बताकर 2 प्रतिशत के हिसाब से 3 लाख रुपये स्वयं का कमीशन बनना बताया। जिस पर मेरे द्वारा बीड़ीओ साहब को बताया कि लगभग पचास लाख रुपये तो खर्च ही नहीं हुए है। जिस पर बीड़ीओ साहब ने 2 लाख रुपये कमीशन के देने को कहा। लेकिन मैंने बीड़ीओ साहब को निवेदन किया की साहब इतनी राशि की व्यवस्था तो नहीं हो पायेगी तो बीड़ीओ साहब ने कहा कि एक लाख सत्तर हजार रुपये से कम तो मैं नहीं लूंगा। जिस पर मैंने बीड़ीओ साहब को निवेदन किया मेरी ग्राम पंचायत के युसी/सीसी का समायोजन तो कराओ। जिस पर बीड़ीओ साहब ने कहा कि युसी/सीसी बनाते रहना आप तो मुझे एक लाख सत्तर हजार रुपये सोमवार की शाम तक दे देना युसी/सीसी समायोजन तो बाद मैं होता रहेगा और कहा कि मेरा कमीशन नहीं देने पर तुम्हारे खिलाफ में छोटी-मोटी कमियां निकालते हुए कार्यवाही करूंगा और कहा कि मेरे कमीशन की राशि लेकर पंचायत समिति तलवाड़ा आकर मुझसे मिलना तो ही आपकी निरीक्षण रिपोर्ट में सही बनाउंगा। बीड़ीओ साहब को कमीशन की राशि नहीं देने पर वह मुझे निलंबित करने एवं मेरे खिलाफ रिपोर्ट बनाकर उच्चाधिकारियों को भेजने का कहकर मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं बीड़ीओ साहब को रिश्वत के एक लाख सत्तर हजार रुपये नहीं देकर उन्हें रिश्वत राशि लेते हुए पकड़वाना चाहता हूं। मेरी बीड़ीओ साहब से कोई उधारी-लेनदेन बकाया नहीं है न ही बीड़ीओ साहब से मेरी कोई आपसी रंजीश है। रिपोर्ट पर कार्यवाही करावें।”

दिनांक:- 18.10.2023

सही/-

बलराम निनामा पुत्र श्री धनजी निनामा  
निवासी माही सागर कोलोनी माही  
डेम रोड़ पीपलवा बांसवाड़ा।  
मो.नं.-9829274844

### कार्यवाही पुलिस ब्यूरो इकाई बांसवाड़ा

दिनांक 18.10.2023 समय 02.20 पी.एम. पर श्री बलराम निनामा पुत्र श्री धनजी निनामा पेशा नौकरी निवासी माही सागर कोलोनी माही डेम रोड़ पीपलवा बांसवाड़ा ने ब्यूरो कार्यालय बांसवाड़ा उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र परिवादी को पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी श्री बलराम ने शब्द-बशब्द सही होना व प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। माजिद दरियाप्त पर परिवादी ने बताया कि “मैं प्रार्थी बलराम निनामा पुत्र श्री धनजी निनामा पेशा नौकरी निवासी माही सागर कोलोनी माही डेम रोड़ पीपलवा बांसवाड़ा का रहने वाला हूं। मैं माह जुन 2018 से ग्राम पंचायत मसोटीया में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर पदस्थापित हूं तथा मेरे पास माह जुलाई 2020 से ग्राम पंचायत कुपड़ा पंचायत समिति तलवाड़ा जिला बांसवाड़ा अतिरिक्त कार्यभार मेरे पास है। दिनांक 13.10.2023 को श्री पुरणमल मीणा विकास अधिकारी तलवाड़ा द्वारा ग्राम पंचायत कुपड़ा, पंचायत समिति तलवाड़ा में वर्ष 2020-21 से दिनांक 13.10.2023 तक के रिकोर्ड का निरीक्षण करने हेतु ग्राम पंचायत कुपड़ा आये। निरीक्षण के दौरान बीड़ीओ साहब ने मुझे वर्ष 2020-21 से दिनांक 13.10.2023 तक के स्वीकृत सभी कार्यों की सूची दिखाकर बताया कि प्रत्येक कार्य की स्वीकृत राशि के अनुसार आपकी ग्राम पंचायत कुपड़ा में लगभग ढेड़ करोड़ रुपये की राशि का कार्य होना बताकर 2 प्रतिशत के हिसाब से 3 लाख रुपये स्वयं का कमीशन बनना बताया। जिस पर मेरे द्वारा बीड़ीओ साहब को बताया कि लगभग पचास लाख रुपये तो खर्च ही नहीं हुए हैं। जिस पर बीड़ीओ साहब ने 2 लाख रुपये कमीशन के देने को कहा। लेकिन मैंने बीड़ीओ साहब को निवेदन किया की साहब इतनी राशि की व्यवस्था तो नहीं हो पायेगी तो बीड़ीओ साहब ने कहा कि एक लाख सत्तर हजार रुपये से कम तो मैं नहीं लूंगा। जिस पर मैंने बीड़ीओ साहब को निवेदन किया मेरी ग्राम पंचायत के युसी/सीसी का समायोजन तो कराओ। जिस पर बीड़ीओ साहब ने कहा कि युसी/सीसी बनाते रहना आप तो मुझे एक लाख सत्तर हजार रुपये सोमवार की शाम तक दे देना युसी/सीसी समायोजन तो बाद मैं होता रहेगा और कहा कि मेरा कमीशन नहीं देने पर तुम्हारे खिलाफ में छोटी-मोटी कमियां निकालते हुए कार्यवाही करूंगा और कहा कि मेरे कमीशन की राशि लेकर पंचायत समिति तलवाड़ा आकर मुझसे मिलना तो ही आपकी निरीक्षण रिपोर्ट में सही बनाउंगा। बीड़ीओ साहब को कमीशन की राशि नहीं देने पर वह मुझे निलंबित करने एवं मेरे खिलाफ रिपोर्ट बनाकर उच्चाधिकारियों को भेजने का कहकर मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं बीड़ीओ साहब को रिश्वत के एक लाख सत्तर हजार रुपये नहीं देकर उन्हें रिश्वत राशि लेते हुए पकड़वाना चाहता हूं। मेरी बीड़ीओ साहब से कोई उधारी-लेनदेन बकाया नहीं है न ही बीड़ीओ साहब से मेरी कोई आपसी

✓ 100%

रंजीश है। रिपोर्ट पर कार्यवाही करावें।” दरियाप्त पर मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाने पर नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने से परिवादी को ब्यूरो की ट्रेप कार्यवाही की प्रक्रिया को भलीभांती समझाया गया। इसी दौरान परिवादी श्री बलराम निनामा ने बताया कि आज दोपहर को बीड़ीओ साहब ने मुझे वॉट्सएप कॉल कर शाम को 4.00 बजे पंचायत समिति तलवाड़ा में मिलने के लिये बुलाया है। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय में उपस्थित श्री हरभजनसिंह कनिष्ठ सहायक को कार्यालय की अलमारी से डिजीटल ट्रेप रिकोर्डर मय रिक्त मेमोरी कार्ड को लेकर कार्यालय कक्ष में बुलाया तथा कनिष्ठ सहायक श्री हरभजनसिंह का परिचय परिवादी श्री बलराम निनामा से करवाया जाकर एक दुसरे के नोबाईल नम्बर आपस में आदान—प्रदान किये गये। परिवादी को ब्यूरो की डिजीटल ट्रेप रिकोर्डर के संचालन की विधी भलीभांती समझाई गई। परिवादी ने बताया कि मुझे ग्राम पंचायत मसोटिया में कोई आवश्यक कार्य से जाना है तथा आरोपी द्वारा परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन बाबत् वार्तालाप हेतु 94.00 पीएम पर पंचायत समिति तलवाड़ा बुलाया गया है। ऐसी स्थिति में परिवादी को आरोपी के पंचायत समिति तलवाड़ा में उपस्थित होने की गोपनीय जानकारी प्राप्त करते हुए श्री हरभजनसिंह कनिष्ठ सहायक को जरिये दूरभाष अवगत् कराने हेतु पाबंद कर मुनासिब हिदायत कर रुखसत किया गया तथा श्री हरभजनसिंह कनिष्ठ सहायक को भी मुनासिब हिदायत दी गई। दिनांक 18.10.2023 समय 04.00 पी.एम. पर श्री हरभजनसिंह कनिष्ठ सहायक ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत् कराया गया कि परिवादी ने जरिये दूरभाष सम्पर्क कर बताया कि आरोपी बीड़ीओ अभी पंचायत समिति तलवाड़ा पर ही है। जिस पर श्री हरभजनसिंह कनिष्ठ सहायक को डिजीटल ट्रेप रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड देकर मुनासिब हिदायत के रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु जरिये निजी मोटरसाईकल से करबा तलवाड़ा के लिये रवाना किया गया। समय 05.45 पी.एम पर श्री हरभजनसिंह कनिष्ठ सहायक व परिवादी श्री बलराम निनामा ब्यूरो इकाई बांसवाड़ा हाजीर आये। परिवादी बलराम निनामा ने डिजीटल ट्रेप रिकोर्डर सुपुर्द करते हुए बताया कि समय करीब 04.30 पीएम पर श्री हरभजनसिंह कनिष्ठ सहायक ब्यूरो की डिजीटल ट्रेप रिकोर्डर लेकर पंचायत समिति तलवाड़ा के आस—पास उपस्थित आये और मुझे ट्रेप रिकोर्डर चालू कर सुपुर्द किया जाकर पंचायत समिति तलवाड़ा रवाना किया। मैंने बीड़ीओ साहब के कार्यालय कक्ष में जाकर बीड़ीओ साहब से वार्तालाप की गई तो उनके द्वारा मेरे ग्राम पंचायत कुपड़ा के वर्ष 2020—21 से अब तक स्वीकृत कार्यों की युसी/सीसी का समायोजन करने व निरीक्षण रिपोर्ट में कोई कमियां नहीं निकालकर मेरे पक्ष में बनाने के एवज में वार्तालाप करते हुए एक लाख पचास हजार रुपये रिश्वत राशि की मांग की गई। मेरे द्वारा बीड़ीओ साहब को हाथाजोड़ी करने पर एक लाख पचास हजार रुपये रिश्वत राशि की व्यवस्था होना बताया तो उनके द्वारा तुरन्त मुझसे रिश्वत राशि की मांग की तो मैंने सत्तर हजार रुपये की बीड़ीओ साहब को दे दिये और बीड़ीओ साहब द्वारा बकाया रिश्वत राशि 80 हजार रुपये लेकर कल दिनांक 19.10.2023 को सायंकाल पंचायत समिति तलवाड़ा पर बुलाया गया है तथा उक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप को ब्यूरो के ट्रेप रिकोर्डर में रिकोर्ड कर लिया है। श्री हरभजनसिंह कनिष्ठ सहायक ने परिवादी द्वारा बताया गये तथ्यों की ताईद कर बताया कि ब्यूरो इकाई बांसवाड़ा से रवाना शुदा तलवाड़ा पहुंचकर परिवादी को ट्रेप रिकोर्डर चालू कर सुपुर्द करते हुए पंचायत समिति के आसपास अपनी उपस्थिति छुपाकर मुकिम रहा। करीब 40 मिनट बाद परिवादी पंचायत समिति तलवाड़ा से बाहर आया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजीटल ट्रेप रिकोर्डर को चलाकर सुना गया तो परिवादी बलराम निनामा से आरोपी बीड़ीओ द्वारा रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। आरोपी बीड़ीओ द्वारा परिवादी को बकाया रिश्वत राशि 80 हजार रुपये लेकर दिनांक 19.10.2023 को प्रातः 09.00 एएम पर ब्यूरो इकाई उपस्थित आने तथा ट्रेप कार्यवाही की पूर्ण गोपनीयता बरतने की हिदायत करते हुए रुखसत किया गया। डिजीटल ट्रेप रिकोर्डर को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया।

दिनांक 19.10.2023 समय 10.00 एएम पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने से अधीक्षण अभियन्ता अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बांसवाड़ा के नाम कार्यालय पत्रांक 1249 दिनांक 19.10.2023 जारी कर श्री माजिद खान कानि. को तहरिर देकर आवश्यक हिदायत कर रवाना किया। समय 10.30 एएम पर श्री माजिद खान कानि. दोनों स्वतंत्र गवाह श्री निखिल भावसार हाल सहायक अभियन्ता(आईटी) अविविनिलि जिला बांसवाड़ा एवं श्री योगेश खज्जा हाल प्रशासनिक अधिकारी अविविनिलि(पवस) जिला बांसवाड़ा को हमराह लेकर ब्यूरो इकाई बांसवाड़ा उपस्थित आया। दोनों स्वतंत्र गवाहान को कार्यालय कक्ष में सुरक्षित बैठाया गया। समय 01.45 पीएम पर तलबिदा शुदा परिवादी श्री बलराम निनामा मय रिश्वत राशि 80,000 रुपये लेकर ब्यूरो

✓ ८८८

इकाई बांसवाडा उपरिथित आया। समय 01.50 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान श्री निखिल भावसार एवं श्री योगेश खज्जा को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने मनतव्य से अवगत कराया तो दोनो गवाहान ने ट्रैप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह के रूप में उपरिथित रहने हेतु अपनी—अपनी मौखिक सहमति व्यक्त की। परिवादी श्री बलराम निनामा व दोनो स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय कराया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 18.10.2023 को पेश रिपोर्ट को पढ़कर सुनाई गई तो स्वतंत्र गवाह के समक्ष ही परिवादी ने शब्द ब शब्द सही होना स्वीकार किया। परिवादी की रिपोर्ट पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 02.00 पीएम पर दिनांक 18.10.2023 को परिवादी श्री बलराम निनामा व आरोपी श्री पुरणमल मीणा विकास अधिकारी के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जिसे परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को अलमारी से निकालकर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रिकॉर्ड शुदा वार्ता को चलाकर सुनाया गया तो गवाहान ने भी उक्त वार्ता से रिश्वत राशि मांग की पुष्टि की। परिवादी ने उक्त रिकॉर्डशुदा वार्ता में एक आवाज स्वयं की तथा एक आवाज श्री पुरणमल मीणा, विकास अधिकारी की होना बताया। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो के कम्प्युटर से कनेक्ट करा श्री महेशचन्द्र कानिंग से फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई जाकर स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की एक मूल सीडी एवं डब सीडी तैयार करवाई जाकर मूल सीडी को सीलचिट किया गया तथा गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवायें गये। डब सीडी को अनसिल्ड रखा गया। समय 03.20 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री पुरणमल मीणा, विकास अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वती राशि परिवादी श्री बलराम निनामा से मांगने पर उसने अपने पास से उपरोक्त स्वतंत्र गवाहों के समक्ष 500—500 रुपये के 160 नोट कुल 80,000 रुपये भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किए। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त नोटों का मिलान स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया। तत्पश्चात कार्यालय की आलमारी से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी श्रीमती पुनम महिला कानि. से मंगवाई जाकर टेबल पर अखबार बिछाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत 80,000 रुपये के नोटों के दोनों ओर फिनोफथलीन पाउडर श्रीमती पुनम महिला कानि. से लगवाया गया। परिवादी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री निखिल भावसार से लिवाई गई तथा श्रीमती पुनम महिला कानि. से उक्त फिनोफथलीन लगे नोटों को परिवादी की पहनी हुई पेन्ट के आगे की दाँहिनी जेब में कुछ शैः न छोड़ते हुए के रखवाये गये। तत्पश्चात श्री राजेश कानि. से प्लास्टिक के पारदर्शी नये डिस्पोजल गिलास में कार्यालय से साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्च सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्रीमती पुनम महिला कानि. की अंगुलियों व अगुष्ठ जिन पर फिनोफथलीन पाउडर लगा हुआ है, को ढूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि आरोपी, परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफथलीन पाउडर उसकी हाथों की अंगुलियों व अंगुष्ठ पर लग जाएगा और जब उनके हाथों की अंगुलियों व अंगुष्ठ को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो धोवन का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी धोवन को श्रीमती पुनम महिला कानि. से कार्यालय से बाहर फिकवाया गया तथा उपरोक्त प्लास्टिक के पारदर्शी गिलास व अखबार को जलाकर नष्ट किया गया। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी श्री पुरणमल मीणा, विकास अधिकारी को उनकी मांग अनुसार 80,000 रुपये रिश्वती राशि उसके मांगने पर ही देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद शरीर के किसी अंग को नहीं छुए, यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे एवं रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे। समस्त ट्रैप पार्टी के सदस्यों, गवाहान एवं परिवादी के हाथों को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रैप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी—अपनी उपरिथिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वती राशि के लेन—देन को देखने व वार्तालाप को सुनने का प्रयास करे। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी कि आरोपी के रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात वह अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करें या गोपनीय तरीके से श्री हरभजनसिंह कनिष्ठ सहायक के मोबाईल फोन पर मिस कॉल कर ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरों टीम को समझाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री बलराम निनामा को डिजिटल टेप रिकॉर्डर रिश्वत लेन देन की वार्ता की रिकॉर्डिंग हेतु संचालन की विधि पुनः समझाईस की गई। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को श्रीमती पुनम महिला कानि. से पुनः कार्यालय की अलमारी में रखवाई तथा श्रीमती पुनम महिला कानि. को ब्यूरो इकाई बांसवाडा पर ही मुकिम रहने की हिदायत दी गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर कराये गये। समय 03.40

२०१८

पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री बलराम निनामा को स्वयं की निजी मोटरसाईकल से रवाना करते हुए परिवादी के पीछे—पीछे श्री गणेशलाल हैड कानि, श्री राजेश कुमार कानि एवं श्री पंकज कुमार कानि, श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक को स्वयं की निजी मोटरसाईकलों से एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाह श्री निखिल भावसार, श्री योगेश खज्जा एवं ब्यूरो जाब्ता श्री माजिद खान, श्री महेशचन्द्र कानि व श्री बंशीलाल कानि. मय ट्रैप बॉक्स व आवश्यक संसाधन लेपटोप, प्रिंटर के जरिये सरकारी वाहन मय श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि के ब्यूरो इकाई बांसवाड़ा से कस्बा तलवाड़ा की ओर रवाना हुए। समय 04.20 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियानों के अपने—अपने वाहनों में ब्यूरो इकाई, बांसवाड़ा से रवाना शुदा कार्यालय पंचायत समिति तलवाड़ा जिला बांसवाड़ा के पास पहुंच, वाहनों को साईड में खड़ा कर परिवादी को मय ब्यूरो का डिजीटल ट्रैप रिकोर्डर चालु हालात में सुपुर्द कर पंचायत समिति तलवाड़ा लिये उसकी निजी मोटरसाईकल से मुनासिब हिदायत के रवाना किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान अपने—अपने वाहनों से उतर कर पंचायत समिति तलवाड़ा के आस—पास अपनी—अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के ईशारे के इन्तजार में मूकिम हुए। समय 04.55 पीएम पर परिवादी श्री बलराम निनामा ने पंचायत समिति तलवाड़ा के मुख्य द्वार पर आकर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण बाबत निर्धारित ईशारा अपने सिर पर दो बार हाथ फैरकर करने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाप्ता तेज कदमों से चलकर परिवादी के पास पहुंचे। परिवादी से ट्रैप रिकोर्डर प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी ने बताया कि बीड़ीओ साहब ने रिश्वत राशि उनके कम्प्युटर टेबल की नीचे की दराज में रखवाये हैं और बाद में रिश्वत राशि दराज से निकालकर चैक करते हुए पुनः दराज में रख दिये हैं और अभी बीड़ीओ साहब अपने कार्यालय कक्ष में बैठे हुए हैं। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाह व ब्यूरो जाप्ता परिवादी को हमराह लेकर पंचायत समिति तलवाड़ा स्थित आरोपी बीड़ीओ के कार्यालय कक्ष में प्रवेश किया तो सामने टेबल कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया कि ये ही बीड़ीओ साहब पुरणमल मीणा हैं जिन्होंने अभी—अभी अपनी मांग अनुसार मुझसे रिश्वती राशि 80,000 रुपये ग्रहण किये हैं। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना स्वयं व हमराहियानों का परिचय देते हुए आने के मन्तव्य से अवगत करते हुए उसका पूर्ण नाम पता व पदनाम पुछा तो उसने अपना नाम पुरणमल मीणा पिता श्री राम खिलाड़ी मीणा जाति मीणा उम्र 47 साल निवासी मकान नम्बर 247 मालवीया नगर पुलिस थाना कोतवाली जिला अलवर हाल विकास अधिकारी पंचायत समिति तलवाड़ा जिला बांसवाड़ा होना बताया। आरोपी श्री पुरणमल मीणा विकास अधिकारी को परिवादी श्री बलराम निनामा से अभी—अभी 80,000 रुपये रिश्वती राशि किस बात के ग्रहण की गई है के बारे में पुछा गया तो आरोपी विकास अधिकारी ने बताया कि मैंने श्री बलराम निनामा ग्राम विकास अधिकारी से कोई रिश्वत नहीं ली है। जिस पर मौके पर उपस्थित परिवादी ने खत: ही बताया कि अभी—अभी 80,000 रुपये रिश्वत राशि लेकर बीड़ीओ साहब के कार्यालय कक्ष में आया तो इनके सामने दो व्यक्ति बैठे हुए थे तो मैं कार्यालय कक्ष से बाहर आ गया तो कुछ देर बाद बीड़ीओ साहब भी बाहर आये तथा उनके कार्यालय कक्ष में बैठे व्यक्ति भी कक्ष से बाहर आ गये। इसके बाद बीड़ीओ साहब ने मुझे ग्राम पंचायत कुपड़ा व मसौटिया के सरपंचों की वोटर आईडी मंगवाकर कार्यालय में संबंधित लिपिक को देने हेतु कहा। जिस पर मैंने जरिये मोबाईल वोटर आईडी मंगवाकर संबंधित लिपिक को बताई। इसके बाद मैंने बीड़ीओ साहब के कक्ष में जाकर इनसे कहा कि ग्राम पंचायत कुपड़ा के कार्यों की सूची में मसौटिया ग्राम पंचायत के कार्यों के भी नाम है, कुपड़ा के कार्यों की इतनी राशि नहीं बनती है, युसी/सीसी समायोजन ग्राम पंचायत मसौटिया का भी करने का निवेदन किया तथा कल दिनांक 18.10.2023 को 70,000 रुपये दिये थे अभी 80,000 रुपये दे रहा हूं तो बीड़ीओ साहब द्वारा रिश्वत राशि इनके कम्प्युटर टेबल की नीचे की दराज में रखने के लिये मुझे कहा। जिस पर मैंने रिश्वत राशि 80,000 रुपये इनके कहेनुसार कम्प्युटर टेबल की नीचे की दराज में रख दिये जिसके तुरन्त बाद ही इनके द्वारा रिश्वत राशि 80,000 रुपये अपने हाथों में लेकर चैक करते हुए वापस कम्प्युटर टेबल की नीचे की दराज में रख दिये हैं, जो अभी भी वहीं पड़े हैं और कल दिनांक 18.10.2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान बीड़ीओ साहब ने मेरी पंचायत समिति कुपड़ा की निरीक्षण रिपोर्ट सही बनाने व कोई भी कमी नहीं निकालने तथा कार्यों की युसी/सीसी का समायोजन की बात करते हुए मुझसे 1,70,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई, मेरी हाथाजोड़ी करने पर बीड़ीओ साहब द्वारा 1,50,000 रुपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत हुए और तुरन्त ही राशि की मांग की गई जिस पर मैंने 70,000 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान दिये और शेष रिश्वत राशि 80,000 रुपये आज मुझसे अभी ग्रहण कर कम्प्युटर टेबल की नीचे की दराज में रखे हैं। जिस पर आरोपी पुरणमल मीणा विकास अधिकारी हाथा—जोड़ी करने लगा और कहने लगा कि साहब गलती हो गई मुझे माफ कर दो, मुझे जबरजस्ती फंसाया गया

८८८

है और चुप हो गया। स्वतंत्र गवाह श्री निखिल भावसार से आरोपी श्री पुरणमल मीणा के कम्प्युटर टेबल के नीचे की दराज की तलाशी लिवाई गई तो दराज से 500–500 रुपये के नोट बरामद हुए। उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहों से पूर्व में मूर्तिबंध की गई फर्द पेशकशी सुपूर्दगी नोट से कराया गया तो नोट हुबहू फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के पाये गये। उक्त 500–500 रुपये के 160 नोट कुल 80,000 रुपये बरामद हुए। सरकारी वाहन में रखे द्रेप बॉक्स को श्री गणेश लबाना हैड कानि से मंगवाया जाकर प्रक्रिया अनुसार द्रेप बॉक्स में रखे दो प्लास्टिक के पारदर्शी नये डिस्पोजल गिलासों में पंचायत समिति तलवाड़ा के कार्यालय से पीने वाले साफ पानी को भरवाया जाकर उन दोनों प्लास्टिक के पारदर्शी नये डिस्पोजल गिलासों में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा तथा दोनों गवाह ने भी घोल का रंग अपरिवर्तित बताया। एक रंगहीन घोल भरे गिलास में आरोपी श्री पुरणमल मीणा के दांहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को छुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग मटमैला हो गया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भरवाया जाकर सीलचीट बंद करा मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित करा चीट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे रंगहीन घोल भरे गिलास में आरोपी पुरणमल मीणा के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को छुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग भी हल्का गुलाबी हुआ। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भरवाया जाकर सीलचीट बंद करा मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित करा चीट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। रिश्वत राशि 80,000 रुपये पर एक झागज की चीट लगाकर संबंधितों के हस्ताक्षर कराये जाकर सीलचीट कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी श्री पुरणमल द्वारा रिश्वत राशि 80,000 रुपये परिवादी से कम्प्युटर टेबल के नीचे की दराज में रखवाये व बाद में आरोपी द्वारा उक्त रिश्वती राशि को चैक कर पुनः कम्प्युटर टेबल के नीचे की दराज में रखे, जो मौके पर बरामद की गई है। उक्त बरामद रिश्वत राशि स्थान कम्प्युटर टेबल की दराज का धोवन लिया जाना आवश्यक है। तत्पश्चात द्रेप बॉक्स में से एक प्लास्टिक के पारदर्शी नया डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिन्हें दोनों स्वतन्त्र गवाहन व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इसके बाद द्रेप बॉक्स से साफ रुई निकालकर उसे साफ पानी में भिगोकर रुई के फोहे को कम्प्युटर टेबल के नीचे की दराज में घुमाया जाकर रुई के फोहे को उक्त घोल में छूबोया गया तो घोल का रंग गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने स्वीकार किया। इस घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर बन्द करा मार्क डी-1 व डी-2 अंकित करा सिलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री पुरणमल मीणा से परिवादी श्री बलराम निनामा के ग्राम पंचायत कुपड़ा के निरीक्षण के दौरान लिये गये कार्यों के दस्तावेज, निरीक्षण रिपोर्ट, ऐम्बी एवं युसी/सीसी रिकोर्ड के बारे में पुछा तो आरोपी पुरणमल मीणा ने बताया कि ग्राम पंचायत कुपड़ा की निरीक्षण रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है तथा ग्राम पंचायतों के निरीक्षण रिपोर्ट संबंधी संधारण का कार्य अतिरिक्त विकास अधिकारी श्री केदार नारायण चौधरी द्वारा मेरे निर्देशन में किया जाता है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पंचायत समिति तलवाड़ा के अतिरिक्त विकास अधिकारी श्री केदार नारायण चौधरी को तलब किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री केदार नारायण चौधरी अतिरिक्त विकास अधिकारी से परिवादी के ग्राम पंचायत कुपड़ा से संबंधित कार्यों की पत्रावली व निरीक्षण रिपोर्ट के संबंध में पुछा गया तो श्री केदार नारायण चौधरी द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत कुपड़ा की निरीक्षण रिपोर्ट अभी तैयार नहीं की गई है और दिनांक 13.10.2023 को ग्राम पंचायत कुपड़ा में एवं श्री पुरणमल बीड़ीओ साहब तथा श्री रोहित व्यास कनि, सहायक द्वारा निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के दौरान वहां से स्वीकृत कार्यों से संबंधित पत्रावली मय कार्यों के वाउचर एवं ऐम्बी साथ लेकर आये थे, रिकोर्ड की सूची तैयार नहीं की गई है तथा पंचायत समिति कार्यालय से निरीक्षण हेतु पत्र क्रमांक 1509 दिनांक 05.10.2023 के द्वारा निरीक्षण कार्यक्रम का आदेश विकास अधिकारी द्वारा जारी किया गया था। ग्राम पंचायत के रिकोर्ड को चैक कर निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जानी शेष है। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निरीक्षण कार्यक्रम आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर शामील कार्यवाही की गई एवं ग्राम पंचायत कुपड़ा से प्राप्त रिकोर्ड की सूची अविलम्ब प्रस्तुत करने हेतु श्री केदारनारायण को निर्देशित किया गया। द्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त दांहिने व बांये हाथ तथा बरामद रिश्वत राशि कम्प्युटर की टेबल की नीचे की दराज का धोवन में प्रयुक्त प्लास्टिक डिस्पोजल ग्लास व उपयोग में ली गई रुई के फोहे को जलाकर नष्ट किया गया। आरोपी श्री पुरणमल मीणा मूल निवासी शहर अलवर का रहने वाला है तथा सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि आरोपी कस्बा घाटोल में स्वयं का मकान निर्माण कर अपने परिवार सहित निवास कर रहा है। श्री माजिद खान कानि व बंशीलाल कानि को पुलिस थाना घाटोल से पुलिस जाप्ता प्राप्त कर आरोपी के कस्बा घाटोल में रिहायशी मकान की निगरानी करने की मुनासिब हिदायत के रवाना किया

गया तथा आरोपी के पैतृक निवास शहर अलवर की खाना तलाशी हेतु हालात उच्चाधिकारियों को जरिये दूरभाष अर्ज किये गये। घटना स्थल पंचायत समिति परिसर तलवाड़ा होने से आम लोगों व विभागीय कर्मचारियों की आवाजाही तथा वर्तमान में विधानसभा चुनाव के मध्येनजर आवश्यक राज्य कार्य प्रभावित नहीं होने तथा ब्यूरो टीम व परिवादी की सुरक्षा को देखते हुए अग्रिम कार्यवाही ब्यूरो इकाई बांसवाड़ा पहुंच किया जाना उचित रहेगा। समय 07.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री बलराम निनामा की निशांदेही से फर्द घटनास्थल नक्शा मौका मूर्तिबंद कर गवाहान एवं संबंधितों के हस्ताक्षर कराये। समय 07.15 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाह, डिटेन शुदा आरोपी श्री पुरणमल मीणा मय ब्यूरो जाप्ता श्री गणेश हैड कानि, श्री राजेश कानि, श्री पंकज कानि मय जब्तशुदा सीलचीटबंद धोवन की शीशीयां, रिश्वती राशि 80,000 रुपये सिलचिटशुदा समस्त आर्टिकल मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रैप बॉक्स व डिजिटल टेप रिकॉर्डर को हमराह ले जरिये सरकारी वाहन मय चालक श्री जितेन्द्रसिंह व परिवादी एवं ब्यूरो जाप्ता श्री हरभजनसिंह कनिष्ठ सहायक व श्री महेशचन्द्र कानि निजी वाहन मोटरसाईकल से पंचायत समिति तलवाड़ा से ब्यूरो इकाई बांसवाड़ा के लिये रवाना हुए। समय 07.40 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहियानों के मय डिटेन शुदा आरोपी श्री पुरणमल मीणा मय जब्तशुदा सीलचीटबंद धोवन की शीशीयां, रिश्वती राशि 80,000 रुपये सिलचिटशुदा समस्त आर्टिकल मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रैप बॉक्स इत्यादि के जरिये सरकारी वाहन मय चालक श्री जितेन्द्रसिंह व परिवादी एवं ब्यूरो जाप्ता श्री हरभजनसिंह कनिष्ठ सहायक व श्री महेशचन्द्र कानि निजी वाहन मोटरसाईकल से पंचायत समिति तलवाड़ा से ब्यूरो इकाई बांसवाड़ा के लिये रवाना हुए। समय 07.45 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाह, डिटेन शुदा आरोपी व ब्यूरो जाप्ता श्री राजेश कानि मय लेपटॉप, प्रिन्टर आवश्यक संसाधन के जरिये सरकारी वाहन मय चालक श्री जितेन्द्रसिंह के ब्यूरो इकाई बांसवाड़ा से आरोपी के करबा घाटोल स्थित रिहायशी मकान की खाना तलाशी के लिये रवाना हुए। समय 08.15 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाह, डिटेन शुदा आरोपी व ब्यूरो जाप्ता श्री राजेश कानि मय लेपटॉप, प्रिन्टर आवश्यक संसाधन के जरिये सरकारी वाहन मय चालक श्री जितेन्द्रसिंह के ब्यूरो इकाई बांसवाड़ा से रवाना शुदा आरोपी के करबा घाटोल स्थित तहसील रोड घाटोल जिला बांसवाड़ा रिहायशी मकान पर पहुंचे जहां पर ब्यूरो जाप्ता श्री माजिद खान कानि व श्री बंशीलाल कानि व तलबिदा शुदा भारती महिला कानि 1086 उपस्थित मिले। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाप्ता व डिटेन शुदा आरोपी श्री पुरणमल मीणा की उपस्थिति में खाना तलाशी शुरू की गई। समय 10.30 पीएम पर आरोपी श्री पुरणमल मीणा के रिहायशी मकान तहसील रोड घाटोल की खाना तलाशी ली जाकर फर्द खाना तलाशी मूर्तिबंद कर शामील कार्यवाही की गई। बाद खाना तलाशी महिला कानि भारती को रुखसत किया गया। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाह, डिटेन शुदा आरोपी श्री पुरणमल मीणा व ब्यूरो जाप्ता श्री राजेश कानि मय लेपटॉप, प्रिन्टर आवश्यक संसाधन के जरिये सरकारी वाहन मय चालक श्री जितेन्द्रसिंह के तथा श्री माजिद खान कानि व बंशीलाल कानि को निजी मोटरसाईकल पर करबा घाटोल से रवाना शुदा ब्यूरो इकाई बांसवाड़ा के लिये रवाना हुए। समय 11.10 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाह, डिटेन शुदा आरोपी श्री पुरणमल मीणा व ब्यूरो जाप्ता श्री राजेश कानि मय लेपटॉप, प्रिन्टर आवश्यक संसाधन के जरिये सरकारी वाहन मय चालक श्री जितेन्द्रसिंह के तथा श्री माजिद खान कानि व बंशीलाल कानि को निजी मोटरसाईकल पर करबा घाटोल से रवाना शुदा ब्यूरो इकाई बांसवाड़ा पहुंचा। समय 11.15 पीएम पर दिनांक 19.10.2023 को परिवादी श्री बलराम निनामा व आरोपी श्री पुरणमल मीणा विकास अधिकारी के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग लेनदेन वार्ता जिसे परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर रिकॉर्ड वार्ता को स्वतंत्र गवाहान, परिवादी व आरोपी के समक्ष चलाकर सुनाया गया तो स्वतंत्र गवाहो के समक्ष परिवादी एवं आरोपी श्री पुरणमल मीणा द्वारा अपनी-अपनी आवाज होने की ताईद की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो के कम्प्युटर से कनेक्ट करा श्री महेशचन्द्र कानि से फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की एक मूल सीडी एवं डब सीडी तैयार करवाई जाकर मूल सीडी को सीलचिट किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर कराये गये। डब सीडी को अनसिल्ड रखा गया। एसीबी के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा दिनांक 18.10.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 19.10.2023 को रिश्वत लेनदेन वार्ता को मौके पर उपस्थित आये श्री केदारनारायण चौधरी अतिरिक्त विकास अधिकारी को सुनाई गई तो उक्त वार्ता में एक आवाज श्री पुरणमल मीणा विकास अधिकारी एवं एक आवाज परिवादी श्री बलराम निनामा ग्राम विकास अधिकारी की होना बताया गया। श्री केदारनारायण ने बताया कि

&lt;ग्राम&gt;

पंचायत समिति तलवाडा में साथ-साथ काम करने की वजह से श्री पुरणमल मीणा एवं श्री बलराम निनामा की आवाज को अच्छी तरह पहचानता हूं।

दिनांक 20.10.2023 समय 00.30 एएम पर दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी बलराम निनामा व आरोपी श्री पुरणमल मीणा के मध्य दिनांक 18.10.2023 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 19.10.2023 को हुई रिश्वत राशि लेन देन वार्ता की रिकॉर्डिंग हेतु डिजिटल टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त मूल मेमोरी कार्ड सेनडिस्क कम्पनी का बरंग काल 16 जीबी को डिजिटल टेप रिकॉर्डर से निकालकर मेमोरी कार्ड के कवर में रख कर मेमोरी कार्ड को एक सफेद कपड़े की थैली डालकर कपड़े की थैली पर एक कागज की चीट लगाकर संबंधितों के हस्ताक्षर कराये जाकर थैली को सीलचीट किया गया, जिसकी फर्द मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर कराये गये। दिनांक 20.10.2023 समय 00.45 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री पुरणमल मीणा को रिश्वत राशि मांग सत्यापन एवं लेनदेन वार्ता में उसकी आवाज ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होने से उसकी आवाज का नमूना देने हेतु पत्रांक 1251 दिनांक 20.10.2023 एवं आरोपी के विरुद्ध की गई ट्रेप कार्यवाही के संबन्ध में अपने बचाव में स्पष्टीकरण पेश करने हेतु पत्रांक 1252 दिनांक 20.10.2023 दिया गया। जिस पर आरोपी श्री पुरणमल मीणा विकास अधिकारी ने उक्त पत्रों पर आवाज नमूना के संबंध में “मैं अपनी आवाज का नमूना नहीं देना चाहता हूं” एवं स्पष्टीकरण के संबंध में “मैं अपना स्पष्टीकरण माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करूंगा” अंकित कर अपने हस्ताक्षर कर जवाब प्रस्तुत किया। पत्र की प्रतियों को शामिल पत्रावली किया गया। समय 01.00 एएम पर आरोपी श्री पुरणमल मीणा पिता श्री राम खिलाड़ी मीणा जाति मीणा उम्र 47 साल निवासी मकान नम्बर 247 मालवीया नगर पुलिस थाना कोतवाली जिला अलवर हाल निवास तहसील रोड घाटोल जिला बांसवाडा हाल विकास अधिकारी पंचायत समिति तलवाडा जिला बांसवाडा द्वारा पुलिस अधिकारी की मौजुदगी में संझेय अपराध कारित किया गया। आरोपी को धारा 41 (1) बी जा.फौ. की पालना की जाकर तथा इस समय तक की कार्यवाही से आरोपी श्री पुरणमल मीणा के विरुद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित) 2018 में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से फर्द मूर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 01.30 ए.एम. पर ट्रेप कार्यवाही के दौरान बरामद रिश्वत राशि 80,000 रुपये सीलचीट शुदा, आरोपी श्री पुरणमल के दाहिने व बांये हाथ के धोवन की शीशीयां मार्क कमशा: आरएच—1 व 2, एलएच—1 व 2, बरामद रिश्वत राशि कम्प्युटर की टेबल की दराज का धोवन शीशीयां मार्क डी—1 व 2, रिश्वत मांग सत्यापन व लेनदेन वार्ता की मूल व डब सीड़ीयां, जप्त शुदा मेमोरी कार्ड इत्यादि मालखाना आर्टीकल को दुरुस्त हालात में श्री गणेशलाल हैड कानि मालखाना प्रभारी को संभलवाया जाकर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कराकर सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया तथा परिवादी श्री बलराम निनामा व दोनों स्वतंत्र गवाह श्री निखिल भावसार व श्री योगेश खज्जा को मुनासिब हिदायत के रूखसत किया गया। समय 01.45 एएम पर आरोपी श्री पुरणमल मीणा विकास अधिकारी का स्वास्थ्य परीक्षण कराने हेतु तेहरीर देकर श्री माजिद खान कानि, श्री महेशचन्द्र कानि व श्री हरभजनसिंह कनिष्ठ सहायक जरिये सरकारी वाहन मुनासिब हिदायत के रवाना किया गया। समय 02.10 एएम पर श्री माजिद खान कानि, श्री महेशचन्द्र कानि व श्री हरभजनसिंह कनिष्ठ सहायक जरिये सरकारी वाहन आरोपी श्री पुरणमल मीणा विकास अधिकारी का स्वास्थ्य परीक्षण करा ब्यूरो इकाई बांसवाडा उपरिथित आये। माजिद खान कानि द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट पेश की जिसे शामील पत्रावली किया गया। समय 05.15 एएम पर आरोपी श्री पुरणमल मीणा विकास अधिकारी को सुरक्षा की दृष्टि से बंद हवालात पुलिस थाना कोतवाली जिला बांसवाडा हेतु तेहरीर देकर श्री माजिद खान कानि, श्री महेशचन्द्र कानि व श्री हरभजनसिंह कनिष्ठ सहायक जरिये सरकारी वाहन मुनासिब हिदायत के रवाना किया गया। समय 06.00 एएम पर श्री माजिद खान कानि, श्री महेशचन्द्र कानि व श्री हरभजनसिंह कनिष्ठ सहायक जरिये सरकारी वाहन आरोपी श्री पुरणमल मीणा विकास अधिकारी को सुरक्षा की दृष्टि से बंद हवालात पुलिस थाना कोतवाली जिला बांसवाडा करा ब्यूरो इकाई बांसवाडा हाजीर आये। श्री माजिद खान कानि ने पुलिस थाना कोतवाली की रोजनामचा रपट पेश की जिसे शामील पत्रावली किया गया। प्रकरण में आरोपी श्री पुरणमल मीणा विकास अधिकारी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।


प्रकरण में परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट, फर्द द्रांसक्रिप्शन रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, फर्द ऐशकशी एवं सुपूर्दगी नोट एवं दृष्टान्त किनॉफ्थेलीन पाउडर, फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई, फर्द नक्शा मौका घटनास्थल रिश्वत राशि ग्रहण, फर्द द्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेन-देन वार्ता तथा प्रकरण की समस्त परिस्थितियों से पाया गया कि आरोपी श्री पुरणमल मीणा विकास अधिकारी पंचायत समिति तलवाडा जिला बांसवाडा ने परिवादी श्री बलराम निनामा के ग्राम पंचायत कुपड़ा का दिनांक

✓ २०२३

13.10.2023 को निरीक्षण कर वर्ष 2020–21 से दिनांक 13.10.2023 तक के स्वीकृत कार्यों की सूची अनुसार प्रत्येक कार्य की स्वीकृत राशि के अनुसार लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की राशि का कार्य होना बताकर 2 प्रतिशत के हिसाब से 3 लाख रुपये कमीशन के रूप में रिश्वत राशि की मांग की गई। परिवादी ने आरोपी श्री पुरणमल मीणा द्वारा रिश्वत मांगने बाबत् प्रार्थना पत्र ब्यूरो इकाई बांसवाडा पर दिनांक 18.10.2023 को प्रस्तुत करने पर नियमानुसार दिनांक 18.10.2023 को रिश्वत राशि का मांग सत्यापन कराया गया तो आरोपी श्री पुरणमल मीणा द्वारा ग्राम पंचायत कुपड़ा के वर्ष 2020–21 से अब तक स्वीकृत कार्यों की युसी/सीसी का समायोजन करने व निरीक्षण रिपोर्ट में कोई कमी नहीं निकालकर परिवादी के पक्ष में बनाने के एवज में 1,70,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग की गई। परिवादी के निवेदन करने पर 1,50,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग करते हुए मांग सत्यापन के दौरान 70,000 रुपये रिश्वत राशि ग्रहण की गई। दिनांक 19.10.2023 को नियमानुसार स्वतंत्र गवाह तलब कर द्रेप कार्यवाही आयोजित की जाकर आरोपी श्री पुरणमल मीणा विकास अधिकारी को परिवादी बलराम निनामा से बकाया रिश्वत राशि 80,000 रुपये लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। इस प्रकार आरोपी पुरणमल मीणा द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग कर अपने देय पारिश्रमिक के अतिरिक्त अवैध रिश्वत राशि परिवादी से मांगकर ग्रहण करना जूर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित) 2018 में प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है।


अतः आरोपी श्री पुरणमल मीणा पिता श्री राम खिलाड़ी मीणा जाति मीणा उम्र 47 साल निवासी मकान नम्बर 247 मालवीया नगर पुलिस थाना कोतवाली जिला अलवर हाल निवास तहसील रोड़ घाटोल जिला बांसवाडा हाल विकास अधिकारी पंचायत समिति तलवाडा जिला बांसवाडा के विरुद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित) 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वारते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित हैं।

भवदीय,

  
 (राजीव जोशी)  
 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,  
 भ्रनिब्यूरो, बांसवाडा

## कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजीव जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाड़ा ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री पुरणमल मीणा पिता श्री राम खिलाड़ी मीणा, पदस्थापन विकास अधिकारी, पंचायत समिति तलवाड़ा, जिला बांसवाड़ा के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 276/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

  
20/10/27

(विश्वनाराम)

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक:- 2949-52 दिनांक 20.10.2023

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाड़ा।



पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।